भारत में जैव-चकित्सा अपशष्टि प्रबंधन

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

HIV से संबंधति चताओं के बीच, **जैव-चकित्सा अपशष्टि प्रबंधन (BMW)** पर हाल की चर्चाओं ने ध्यान आकर्षति किया है, जसिमें सार्वजनकि स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लयि प्रभावी **अपशष्टि प्रबंधन प्रणालयिों** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

जैव-चकित्सा अपशष्टि क्या है?

- **परभिाषा:** जैव-चकित्सा अपशष्टि से तात्पर्य **मानव और पशुओं के शारीरकि अपशष्टि** से है, **साथ ही उपचार उपकरण** जैसे सुई, सीरजि और स्वास्थ्य देखभाल सुवधिाओं में उपचार और अनुसंधान के दौरान उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री से भी है।
  - इसे **जैवकि और रासायनकि रूप से खतरनाक अपशष्टि** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जसिमें जैवकि और सूक्ष्मजैवकि संदूषक शामलि हैं।
- **उपचार और नपिटान के तरीके:** जैव-चकित्सा अपशष्टि के प्रबंधन के वकिल्पों में **भस्मीकरण, प्लाज्मा पायरोलसिसि, ऑटोक्लेवगि और पुनर्चक्रण शामलि हैं।**
- **जैव-चकित्सा अपशष्टि प्रबंधन की वर्तमान स्थति:**
  - इनमें से लगभग **79% सुवधिाएँ** अपशष्टि प्रबंधन के लयि 218 **कॉमन बायो-मेडकिल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डसि्पोज़ल सुवधिाएँ (CBWTF)** का उपयोग करती हैं।
  - परचिालनरत CBWTF में से **208** ने नगिरानी बढ़ाने के लयि **जैव-चकित्सा अपशष्टि ट्रैकगि के लयि केंद्रीकृत बार कोड प्रणाली (CBST-BMW)** को अपनाया है।
    - **वर्ष 2020** तक, **भारत में प्रतदिनि लगभग 774 टन जैव-चकित्सा अपशष्टि** उत्पन्न होता था।
    - भारत में **393,242 स्वास्थ्य सुवधिाएँ** हैं, जनिमें से **67.8% बनिा बसि्तर वाली** (क्लनिकि, प्रयोगशालाएँ) हैं और **32.2% अस्पताल और नर्सगि होम** हैं।
- **संवर्द्धन हेतु रणनीतयिाँ:**
  - **चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना:** चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को लागू करने से स्वास्थ्य देखभाल अपशष्टि प्रबंधन में धारणीय प्रथाओं को बढ़ावा मलि सकता है।
    - **IIT के शोधकर्त्ता** पारंपरकि **'टेक-मेक-डसि्पोज'** मॉडल के बजाय **'रड्यिूस-रीयूज-रीसाइकल'** दृष्टकिोण की वकालत करते हैं।

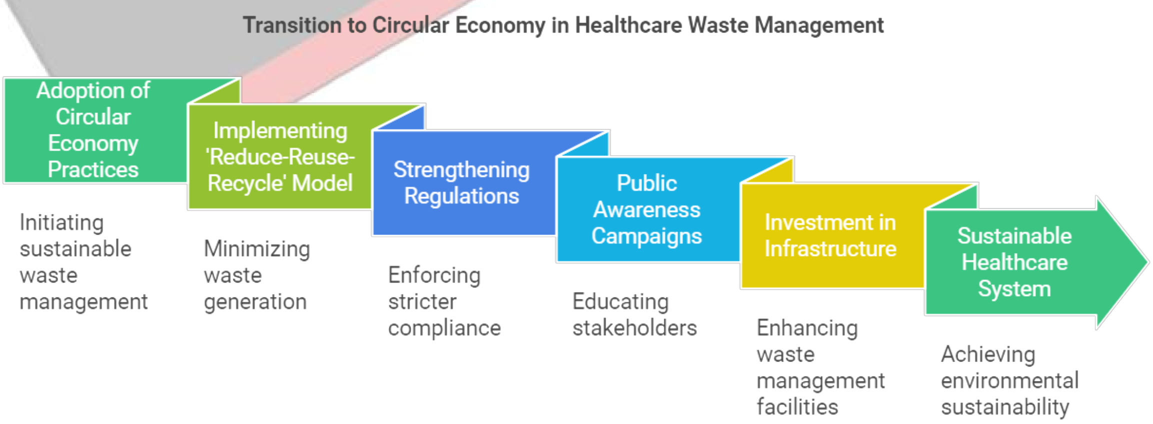

जैव-चकित्सा अपशष्टि प्रबंधन हेतु क्या प्रावधान हैं?

- **जैव चकित्सिा अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016**
    - नयिमों के दायरे का वस्तिार कर इसमें टीकाकरण शवरि, रक्तदान शवरि, शल्य चकित्सिा शवरि या अन्य स्वास्थ्य देखभाल गतविधियिों को भी शामलि कयिा गया है।
    - **इसके तहत मार्च 2016 से शुरू होकर दो वर्षों के अंदर क्लोरीनयुक्त प्लास्टकि बैग** , दस्ताने एवं रक्त बैग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रावधान कयिा गया।
    - **इसमें प्रयोगशाला अपशष्टि, सूक्ष्मजीवी अपशष्टि, रक्त के नमूनों एवं रक्त थैलयिों का वश्वि स्वास्थ्य संगठन (WHO)** या **राष्ट्रीय AIDS नयित्रंण संगठन (NACO)** द्वारा नरि्धारति तरीके से कीटाणुशोधन या रोगाणुनाशन के माध्यम से पूरव उपचार कयि जाने का प्रावधान कयिा गया।
    - इसमें स्रोत पर अपशष्टि के पृथक्करण में सुधार हेतु जैव-चकित्सिा अपशष्टि को **4 श्रेणयिों में वर्गीकृत** करने का प्रावधान कयिा गया।
- **हानकिारक अपशष्टि (प्रबंधन और पारगमन गतविधि) नयिम, 2016**
- **बेसल कन्वेंशन: इसे वर्ष 1989 में अपनाया गया तथा यह वर्ष 1992 से प्रभावी एक अंतर्राष्ट्रीय संधहिै जसिका उद्देश्य हानकिारक अपशष्टिों की पारगमन गतविधिकिो सीमति करना है।**
    - भारत **बेसल कन्वेंशन का सदस्य है** लेकनि इसने **बेसल प्रतबिंध संशोधन** का अनुसमर्थन नहीं कयिा है।

संबंधति नीतयिों पर HIV/AIDS का क्या प्रभाव है?

- 1980 **के दशक के अंत में अमेरकिा** में **"सरिजि टाइड"** के कारण होने वाले वैश्वकि संकट के परणािमस्वरूप **मेडकिल अपशष्टि ट्रैकगि अधनियिम, 1988** जैसे सख्त नयिम लागू कयि गये।
- **भारत में वर्ष 1998 में जैव-चकित्सिा अपशष्टि (प्रबंधन और हैंडलगि) नयिम** लागू होने के साथ ही इस दशिा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए, जसिके **तहत अस्पतालों के अपशष्टि** को खतरनाक माना गया।
- ***[illegible] (1996***) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्रदूषण**संबंधी चतिाओं पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधति नयिामक ढाँचे** पर प्रभाव पड़ा।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कदिल्लिी में ऐसे परसिरों के मालकिों एवं अधभिोगयिों को (जनिके पास नगरपालकिा के नाले से जुड़ा शौचालय नहीं है) नरि्धारति दशि-नरि्देशों का पालन करते हुए अपशष्टि को एकत्रति कर नरि्दष्टि डपिो तक पहुँचाना होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[illegible]:

प्रश्न. भारत में ठोस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नम्निलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

(a) अपशष्टि उत्पादक को पाँच कोटयिों में अपशष्टि अलग-अलग करने होंगे।
(b) ये नयिम केवल अधसिूचति नगरीय स्थानीय नकिायों, अधसिूचति नगरों तथा सभी औद्योगकि नगरों पर ही लागू होंगे।
(c) इन नयिमों में अपशष्टि भराव स्थलों तथा अपशष्टि प्रसंस्करण सुवधिाओं के लयि सटीक और वस्तृित मानदंड उपबंधति हैं।
(d) अपशष्टि उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़लि में उत्पादति अपशष्टि, कसिी अन्य ज़लि में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/biomedical-waste-management-in-india